न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय सं. 01, मेरठ।

निष्पादन वाद संख्या 430/2022 (पुराना नंबर 15/2013)

मेसर्स कैलाश कंस्ट्रक्शन बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य

दिनांकः 16-02-2026

वाद पुकारा गया। डिक्रीदार की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। निर्णीतऋणीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

निर्णीतऋणीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 25ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने रिट संख्या 6032/2024 में दिनांक 02-02-2026 को आदेश पारित किया गया है कि “Till then no coercive action shall be taken.” इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही न की जाये।

निर्णीतऋणीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 25ग के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02-02-2026 की नेट से प्राप्त प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें यह उल्लिखित है कि

"Learned Counsel for the respondent prays for and is granted 10 days time.

Til then no coercive action shall be taken.

List this matter again on 25-02-2026.”

अतः पत्रावली दिनांक 10-03-2026 को पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,
मेरठ।

Digitally signed by Kshitij Kumar Srivastava
Date: 2026.02.16 16:54:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court